संख्या- 24 /2018/152/सत्तर-4-2018-152/18

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2018**

विषय- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के कर्मचारियों के लिए टाईप-II के 24 आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-आर/1776/एन0टी0/2017, दिनांक 11.01.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव/आगणन पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2017-18 में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के कर्मचारियों के लिए टाईप-II के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु रू0 3,29,44,000/- (रूपये तीन करोड़ उन्तीस लाख चौवालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 1,31,00,000/- (रूपये एक करोड़ इक्तीस लाख मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यों /मदों में किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों / मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितिता मानी जाएगी।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 में नहीं रखी जाएगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं कार्यदायी संस्था का होगा। कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने एवं कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की बनाये रखने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था से अनुबन्ध निष्पादित कर लिया जायेगा।

4- उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस अनुदान के बिल पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

6- यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार आगणन तैयार किया गया है अथवा नही। यह भी देख लिया जाएगा कि कार्यदायी संस्था मितव्ययी एवं गुणवत्तापरक कार्य करती है अथवा नही।

7- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागर से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

8- प्रायोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।

SP G.O.

9- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्कतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथिरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

10- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

11- कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार ही सेन्टज जार्च लिया जाएगा।

12- प्रायोजना अंतर्गत संपादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) न हो इसको दृष्टिगत रखते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

13- प्रश्नगत निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0 द्वारा कराया जायेगा।

14- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-19-राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार-24- वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-486/दस-2018, दिनांक 25 मार्च , 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव

संख्या- 24 /2018/152/सत्तर-4-2018, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा , उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0, यूनिट-8 लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
10. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

SP G.O.